भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2184
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

घरेलू हिंसा

2184. **श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में दर्ज घरेलू हिंसा के मामलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने घरेलू हिंसा से संबंधित कोई सर्वेक्षण कराया है;
(ग) यदि हाँ, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं;
(घ) महाराष्ट्र में दर्ज घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में लिंग-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) महिलाओं के विरुद्ध अपराध सहित अन्य अपराधों पर आंकड़ा संकलित करता है और अपने प्रकाशन "भारत में अपराध"(क्राइम इन इंडिया) में और प्रकाशित करता है, जो कि एनसीआरबी की वेबसाइट https://ncrb.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त रिपोर्ट वर्ष 2022 तक की उपलब्ध है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों अर्थात 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के दौरान 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' (पीडब्ल्यूडीवीए) के तहत दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 579, 553, 446, 507 और 468 है। महाराष्ट्र में वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के दौरान पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 के तहत दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 9,11, 3, 5 और 1 है।

"पुलिस "और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून -व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जिसमें महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध अपराध की जांच एवं अभियोजन भी शामिल है,की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है और वे इससे निपटने में सक्षम हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 की धारा 8 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले में उतनी संख्या में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का आदेश है, जितनी वे आवश्यक समझें और साथ ही उस क्षेत्र या क्षेत्रों को अधिसूचित करने का भी निर्देश है, जिसमें संरक्षण अधिकारी प्रदत शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है कि वह घरेलू हिंसा के मामलों की शिकायत प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे एवं मजिस्ट्रेट को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करे। हालाँकि, किसी आरोपी व्यक्ति को कानून के प्रावधानों के अनुसार तथ्यात्मक स्थिति, साक्ष्य और सभी संबंधित कानूनी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है। पीडब्ल्यूडीवीए में महिलाओं के लिए संरक्षण आदेश, निवास आदेश, अभिरक्षा आदेश, मौद्रिक राहत, मुआवजा आदेश इत्यादि जैसे उपचार उपायों का प्रावधान प्रदान करता है।

फिर भी, केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में विभिन्न विधायी और योजनाबद्ध कार्यकलाप किए हैं। इनमें "भारतीय न्याय संहिता", "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता", "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006", "दहेज निषेध अधिनियम, 1961", "यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012", और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निषेध प्रतितोष और निवारण) अधिनियम, 2013 जैसे कानून शामिल हैं। इन कानूनी प्रावधानों के अलावा सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी); महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल), आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जो आपात स्थितियों के लिए अखिल भारतीय एकल नंबर (112)/मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है; जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण, पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण इत्यादि शामिल हैं।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना, जो पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह निजी एवं सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है । यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श सहित कई तरह की सेवाएं भी प्रदान करता है। देश भर में 843 ओएससी (महाराष्ट्र में 55 ओएससी सहित) कार्यशील हैं और दिनांक 30 जून, 2025 तक 11.94 लाख से

अधिक महिलाओं को (महाराष्ट्र में सहायता प्राप्त 38,734 महिलाओं सहित) सहायता प्रदान की गई है।

निर्भया कोष के तहत, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने भी कई पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआरएंडडी ने "पुलिस स्टेशनों पर महिला सहायता डेस्क" के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है जिनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए चार महत्वपूर्ण घटकों अर्थात बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रतिक्रिया तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया है । यौन उत्पीड़न के अपराध के विशेष संदर्भ में जांच, पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम तथा जांच के उद्देश्य से "महिला सुरक्षा और संरक्षा-पुलिस में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं और जांचकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका" नामक एक पुस्तक भी तैयार की गई हैं जिसका उद्देश्य यौन हिंसा अपराध के विशिष्ट संदर्भ में महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम और जाँच करना है जिसमें जाँच, पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास शामिल है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और पता लगाने तथा अपराध के पीड़ितों के साथ समुचित बातचीत के लिए पुलिस बल में उचित व्यवहार और मनोवृत्ति कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। बीपीआरएंडडी ने संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों का लैंगिक संवेदीकरण इत्यादि विषय पर वेबिनार भी आयोजित किए हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और सुलभ हों, क्योंकि वे पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के लिए संपर्क का पहला और एकमात्र बिंदु होते हैं, 14,658 महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 13,743 का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी कर रही हैं। जरूरतमंद महिलाओं तथा संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) स्थापित की गई है जिसमें क्षेत्र/पुलिस संसाधनों का कंप्यूटर की सहायता से प्रेषण शामिल है। इसके शुरुआत होने के बाद से अब तक 43 करोड़ से ज़्यादा कॉलों पर अपेक्षित कार्रवाई की जा चुकी हैं। ईआरएसएस के अलावा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी तरह से काम करने विशिष्ट महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल -181) कार्यशील है। डब्ल्यूएचएल को भी ईआरएसएस के साथ भी एकीकृत किया गया है। अब

तक महिला हेल्पलाइनों ने 2.10 करोड़ से अधिक कॉलों पर कार्रवाई की गई है और 84.43 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जघन्य यौन अपराधों की पीड़ित दुर्भाग्यपूर्ण महिलाओं और किशोरियों को न्याय मिले, सरकार वर्ष 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। दिनांक 30 मई, 2025 तक, 406 विशिष्ट पॉक्सो (ई- पॉक्सो) न्यायालयों सहित कुल 747 एफटीएससी, 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील हैं, जिन्होंने देश भर में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के 3.30 लाख से अधिक मामलों का निपटान किया है।

मंत्रालय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाता है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्यों में उनके जैसे संस्थानों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं, ऑडियो-विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्श जारी किए हैं।

महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सहयोग से कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है, जो मुफ़्त कानूनी सहायता प्रदान करके महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए एकल-खिड़की सुविधा है। 17 राज्यों में ऐसे ही कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए गए हैं।

मंत्रालय ने दिनांक 22 जनवरी, 2025 को सभी कार्यात्मक सुविधाओं के साथ 'मिशन शक्ति पोर्टल' शुरू किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच बढ़ाना, बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना एवं विभिन्न योजनाओं और कानूनों के तहत पदाधिकारियों और कर्तव्य धारकों की क्षमता का निर्माण करना है।

इसके अलावा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा महिला हेल्पलाइन को कार्यान्वित करने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कॉल की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह डैशबोर्ड प्राप्त कॉल और सहायता प्राप्त महिलाओं की तात्कालिक निगरानी करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रणाली के माध्यम से, केंद्र सरकार पूरे भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा पर केंद्रीकृत डेटा रख पाएगी, जिसे घरेलू हिंसा के मामलों सहित मामलों के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

(ड.): सरकार देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से जीवन-चक्र सातत्य के आधार पर बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे भारत के विकास की प्रक्रिया का नेतृत्व कर सकें। पिछले कुछ वर्षों में, देश में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण के लिए कई पहल की गई हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 से 'मिशन शक्ति' नामक एक व्यापक योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाना है। इसमें जीवन-चक्र के आधार पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करके "महिला-नेतृत्व वाले विकास" (वूमेन-लेड-डेवलपमेंट) के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करना है। इसमें मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर तालमेल में सुधार की कार्यनीतियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें डिजिटल अवसंरचना सहायता, अंतिम लाभार्थी तक ट्रैकिंग और जन-सहभागिता को मजबूत करने के अलावा, पंचायतों और अन्य स्थानीय स्तर की शासन निकायों की अधिक भागीदारी एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएँ 'संबल' और 'सामर्थ्य' हैं ।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत का एक नया घटक शामिल है।

"सामर्थ्य" उप-योजना महिला सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और आर्थिक सशक्तीकरण के

लिए पूरक वित्त पोषण (गैप फंडिंग) का एक नया घटक अर्थात संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) शामिल है, जिसका उद्देश्य केंद्र, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए बनाई गई विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बीच तालमेल को सुगम बनाना है ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। एचईडब्ल्यू के तहत सहायता महिलाओं को उनके सशक्तीकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध व्यवस्थाओं से जोड़ने, मार्गदर्शन करने एवं सहयोग देने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण तक पहुंच वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, कामगारों का स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं डिजिटल साक्षरता शामिल है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक सार्वभौमिक, प्रवेश की बाधा रहित योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) सहित सेवाओं के लिए पात्र हैं। सरकार ने प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) भी कार्यान्वित किया है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू एंड एलएम) को मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि महिला प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार हो सके। इस योजना में दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाता है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। इस योजना के माध्यम से 3.44 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ दिया गया है। इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बच्चों को डे-केयर सुविधाएँ और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पालना नामक एक उप-योजना कार्यान्वित की गई है। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखरेख सेवाओं का विस्तार किया गया है ताकि अधिक से अधिक माताओं को काम करने और देखरेख करने वालों को कार्यबल में भाग लेने में समर्थ बनाया जा सके।

वर्ष 2017 में पहले दो बच्चों के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम में महिला कर्मचारियों को सवेतन मातृत्व अवकाश और पचास या अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों में निर्धारित दूरी के भीतर शिशु-गृह सुविधा का भी प्रावधान है। किसी महिला को सौंपे गए कार्य की प्रकृति के आधार पर इस अधिनियम की धारा 5(5) में मातृत्व लाभ

प्राप्त करने के बाद महिला के लिए घर से काम करने का भी प्रावधान है, जिसका नियोक्ता अवधि एवं शर्तों तथा महिला द्वारा आपसी सहमति से किया जाता है।

इसके अलावा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कई पहल शुरू की गई हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न संकाय में लड़कियों के कम प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए वर्ष 2020 में विज्ञान ज्योति की शुरुआत की गई थी। ओवरसीज फेलोशिप योजना वर्ष 2017-18 में शुरू की गई थी। यह भारतीय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को स्टेम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करता है। कई महिला वैज्ञानिकों ने भारत के पहले मंगल ऑर्बिटर मिशन (एमओएम), या मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण और परीक्षण भी शामिल है।

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय देश भर के छात्रों के लिए ई-लर्निंग के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' (एनएमईआईसीटी) स्वयम (स्ट्डी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स), स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल), वर्चुअल लैब, ई-यंत्र, एनईएटी (नैशनल एजुकेशन एलायंस फॉर टैक्नॉलोजी) इत्यादि संचालित कर रहा है। प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत, सरकार द्वारा विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) शुरू किया गया है ताकि छात्रों को बैंकों की एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से आसानी से शिक्षा ऋण मिल सके। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) को इस पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना में मकानों का स्वामित्व महिलाओं को देने पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यह निर्णय लिया गया है कि विधुर/अविवाहित/पृथक व्यक्ति/ट्रांसजेंडर के मामले को छोड़कर मकान का आवंटन महिला के नाम पर या पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाएगा।

'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत 11.8 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 10.3 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन और 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत, लगभग 15.6 करोड़ ग्रामीण परिवारों

को पेयजल नल कनेक्शन उपलब्ध कराने से महिलाओं का काम और देखभाल का बोझ कम हुआ है जिसके परिणास्वरूप महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है।

महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के टवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। महिला कामगारों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने हेतु श्रम संहिताओं जैसे वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में कई सामर्थ्यकारी प्रावधान शामिल किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) में यह अनिवार्य किया गया है कि इस योजना के तहत कम-से-कम एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दिए जाएँ।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत, 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लगभग 91 लाख महिला स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी हैं, जो कई नवीन और सामाजिक तथा पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं, साथ ही वे बिना किसी गारंटी के ऋण सहित सरकारी सहायता भी प्राप्त कर रहे हैं।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने कौशल भारत मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति समावेशी कौशल विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य बेहतर आर्थिक उत्पादकता के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

सरकार ने प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत देश भर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण और शिक्षुता, दोनों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा तैयार करने, मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयों जैसी फ्लेक्सिबल प्रशिक्षण व्यवस्था, महिलाओं के लिए स्थानीय आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण के साथ-साथ फ्लेक्सिबल दोपहर के बैच बनाने, सुरक्षित और लैंगिक रूप से संवेदनशील प्रशिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने, महिला प्रशिक्षकों को रोज़गार देने, पारिश्रमिक में समानता एवं शिकायत निवारण तंत्र पर ज़ोर दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार या ई-नाम, कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मंच है जो महिलाओं को बाज़ारों तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या उन बाधाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएँ खाद्यान्न प्रसंस्करण, बागानी फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन पालन, कताई मिलों, हथकरघा एवं पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं इत्यादि से संबंधित क्रियाकलापों से जुड़ी सहकारी समितियों में कार्यरत हैं। अन्य योजनाओं में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), समग्र शिक्षा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि शामिल हैं। महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कौशल भारत मिशन भी शुरू किया है।

भारत, सशस्त्र बलों में बालिकाओं की भूमिका को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने गैर-पारंपरिक क्षेत्रों, जैसे भारतीय वायु सेना में लड़ाकू पायलट, कमांडो, केंद्रीय पुलिस बल, सैनिक स्कूलों में भर्ती, एनडीए में बालिकाओं का प्रवेश इत्यादि में महिलाओं की भागीदारी के लिए प्रावधान भी किए हैं। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी पहल की है, जिसमें किशोरियों, विशेषरूप से कम आय वाले परिवारों की बालिकाओं पर विशेष ध्यान देकर महिला विमानन पेशेवर तैयार किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वूमेन एयरलाइन पायलट्स के अनुसार, वैश्विक स्तर पर लगभग 5 प्रतिशत पायलट महिलाएं हैं। भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी काफी अधिक है।

महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, सरकार द्वारा 'स्टैंड-अप इंडिया' के तहत दस लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के 84% ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराए गए हैं।

उद्यमिता पर विशेष ध्यान देते हुए, भारत सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे उद्यमों को बड़ी संख्या में ऋण की सुविधा और संवितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे महिलाएं स्टार्ट-अप इंडिया के तहत समर्थित देश के उभरते स्टार्ट-अप व्यवस्था तंत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन रही हैं।

जमीनी स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सरकार ने संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में महिलाओं के लिए कम-से-कम 33% सीटें आरक्षित की हैं। आज, पंचायती राज संस्थाओं में 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। सरकार समय-समय पर ईडब्ल्यूआर को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है ताकि उनकी क्षमता का विकास हो सके और महिलाओं को शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

महिला सशक्तीकरण और देश में सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दिशा में सबसे बड़ा कदम सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (एक सौ छठा संविधान संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना जारी किा जाना है, जिसके तहत लोक सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी दर (सामान्य स्थिति, आयु 15 वर्ष और उससे अधिक) 2017-18 में 23.3% से लगातार बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है। यह उल्लेखनीय वृद्धि देश में महिलाओं के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से उनका सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प का परिणाम है।

*****